



## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज. जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/सीधी भर्ती/क.स./2019/672

दिनांक : 08/03/2019

### आदेश

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र. सू./अनु.3/2017 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक पद पर 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान इन अभ्यर्थियों को परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में नियत 14600/-रुपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त दिया जायेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक पद का वेतनमान लेवल पे मेट्रिक्स एल-5 अनुज्ञात किया जायेगा।

नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय नियन्त्रण अधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व अपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वेरिफिकेशन) संबन्धित जिला पुलिस अधीक्षक का प्रस्तुत करना होगा। आचरण संदिग्ध तथा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। नियुक्ति पूर्व चरित्र सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात ही संबन्धित अधिकारी इन्हें कार्यग्रहण करवायेगें।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.03.2004 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

इन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबन्धी अंक तालिका/प्रमाण पत्रों का सत्यापन व कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जांच संबन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से आवश्यक रूप से करावें। यदि इन अभ्यर्थियों का कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज सत्यापन के पश्चात फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षकर्ता को दी जावे, ताकि प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर उचित निर्देश दिये जा सकें।


इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे। यह नियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, आदेश क्रमांक एफ.6(4)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, आदेश क्रमांक एफ.6(5)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 परिपत्र क्रमांक एफ.1(4)एफडी/रूल्स/2017-I-II दिनांक 30.10.2017 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.12(9)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानों से शासित होगी :-

क.स.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/पता	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मूल चन्द शर्मा 226, मदन बाड़ी, नया खेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर (राज0) पिन: 302039	24.03.1993	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
2.	श्री महेश शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन लाल शर्मा, प्लॉट न0 21, राधा कृष्णा नगर, विजयपुरा रोड़, पुरानी चुंगी, आगरा रोड़ वाया जामडोली, जयपुर (राज0) पिन: 302031	01.06.1990	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
3.	श्री सूरज मल शर्मा पुत्र श्री प्रभु नारायण शर्मा, गाँव-दयारामपुरा, पो0-जीतावाला, तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 303012	04.08.1990	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
4.	श्री प्रशान्त त्रिपाठी पुत्र श्री सीताराम त्रिपाठी, ए-154, करधनी योजना, कालवाड़ रोड़, गोविन्दपुरा, जयपुर (राज0) पिन: 302012	24.05.1985	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
5.	श्री राजेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामफूल सैनी, ग्राम पोस्ट-माधोगढ़, तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 303302	09.10.1990	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।



6.	श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, प्लाट न0 53, शारदा कॉलोनी, जयसिंह पूरा खौर, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 302036	07.10.1990	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
7.	श्री रोहित कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता, 3एमए/188, इन्द्रा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर (राज0) पिन: 302017	29.09.1987	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
8.	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा, ग्राम पोस्ट-खवारानी जी, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 303109	15.04.1995	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
9.	श्री हेमराज सैनी पुत्र श्री शिम्भुदयाल सैनी, ढाणी-अमरपुरा नई कोठी, गोपालपुरा रोड़, गुमका जोहडा के पास, कोटपुतली, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 303108	12.11.1993	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
10.	श्री रोहित कुमार यादव पुत्र श्री रतन लाल यादव, ढाणी-धानाला, ग्राम-लाडा का बास, वाया-भाबरू, तहसील-कोटपुतली, जिला-जयपुर (राज0)	15.07.1992	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
11.	श्री रामनिवास थाकण पुत्र श्री भंवर लाल थाकण, ग्राम बसेडी (बडी कोठी), पोस्ट-बेगस, वाया-बगरू, तहसील-जयपुर, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 303007	06.12.1988	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
12.	श्री सीताराम यादव पुत्र श्री नाथूराम यादव, ग्राम-खोरा श्याम दास, वाया-जैतपुरा, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 303704	13.03.1994	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
13.	श्री रामसिंह चौधरी पुत्र श्री छोटूराम गॉव-गणेशपुरा, पो0-मौजमाबाद, तहसील-मौजमाबाद, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 303009	10.08.1991	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय।
14.	श्री महेश कुमार यादव पुत्र श्री अर्जुन लाल यादव ढाणी-ढोढवालो की, गॉव-हरदरामपुरा, पोस्ट-खेजरोली, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर (राज0) पिन: 303803	04.10.1992	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय।

उक्त वर्णित नियुक्तियां प्रशासनिक सुधार(ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक प.1(6)प्र.सू./अनु. 3/2017 दिनांक 14.02.2019 में उल्लेखित न्यायिक प्रकरण में होने वाले निर्णयों के अध्याधीन होगी।


  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/सीधी भर्ती/क.स./2019/639

दिनांक : 08/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निदेशक (जन स्वा.) मुख्यालय।
7. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर। (संलग्न:-मूल पत्रादि)
8. संयुक्त निदेशक(प्रशासन), मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम/द्वितीय (संलग्न :- मूल पत्रादि)
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
12. संबन्धित अभ्यर्थियों को पालनार्थ।
13. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
14. आदेश/निजी पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर